



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फ़ैक्स : 0651-2400850

पत्रांक:-

राँची, दिनांक:-

आवश्यक सूचना


राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के संचालन सहमति (Consent to Operate) आदेश के बगैर, अवैध रूप से चल रहे इकाईयों को सील करने के संबंध में।


माननीय National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi के द्वारा आवेदन संख्या 37/2012 - वासन सिंह बनाम पंजाब सरकार में आदेश संख्या-4, दिनांक 08.05.2013 पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है :-

“A copy of this order shall be furnished to CPCB and MoEF to immediately take the suitable action in order to arrest such large scale dereliction of the legal obligation i.e. running of the units without obtaining proper Consent to Operate from the Competent Authority. We further direct the concerned pollution control Board/Boards and the CPCB to file Action Taken Report (ATR) in the Registry of the Tribunal within a period of three weeks and ensure that all the procedure for sealing the illegally run/operated factories/units is immediately undertaken without waiting for any further order. The local police shall extend all cooperation to the PCB in the sealing process. Functioning of all the illegally run factories/industrial Units shall be immediately stopped.”

उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में राज्य में चल रही ऐसी इकाईयां, जो झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से बगैर संचालन सहमति (Consent to Operate) के अवैध रूप से चल रही हैं, उन्हें सील करने की कार्रवाई पर्षद के क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर से प्रारंभ की जा रही है।

अतः सभी इकाई पर्षद से परिचालन सहमति (Consent to Operate) प्राप्त कर ही इकाई का संचालन करें।


(संजय कुमार सिन्हा)
सदस्य सचिव


(मणि शंकर)
अध्यक्ष